

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर**

क्रमांक-एफ-1-124/2011/सात-4,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17 JUL 2012

आयुक्त,  
भू-अभिलेख,  
छ0ग0, रायपुर ।


विषय:- पटवारियों के अतिरिक्त प्रभार के हल्कों का विशेष भत्ता प्रदान करने बाबत ।

\*\*\*\*\*

राज्य शासन एतद् द्वारा पटवारियों को अपने पदस्थापना हल्के के अतिरिक्त अन्य हल्के के कार्य संपादन करने हेतु विशेष भत्ता के रूप में प्रतिमाह रूपये 250/- (रूपये दो सौ पचास) मात्र का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है ।

02. उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-08-मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व-103-भू अभिलेख-1472-जिला खर्च के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

03. उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0 क्रमांक 207/एफ- 1001348/वि./वि./चार/2012 दिनांक 06.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(सी0 तिकी )  
अवर सचिव

80  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0 क्रमांक-एफ-1-124/2011/सात-4,

रायपुर, दिनांक 17 JUL 2012

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर,
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निज सचिव,
04. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
05. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर,
06. संभागीय आयुक्त, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर छत्तीसगढ़,
07. समस्त कलेक्टर.....छत्तीसगढ़,
08. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, .....छत्तीसगढ़,
09. संचालक, NIC मंत्रालय, रायपुर की ओर राजस्व विभाग की वेबसाईट <http://cg.nic.in/revenue> में अपलोड करने हेतु प्रेषित,
10. आर्डर बुक,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

